



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 292) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

7 दिसम्बर 2019

सं० 1962— नालंदा जिलान्तर्गत पो0— करजारा, था0— सिलाव, प्रखंड— राजगीर स्थित पंचायत भूई ग्राम—विच्छाकोल में अवस्थित श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में पर्षद के अन्तर्गत निबंधित है, जिसकी निबंधन सं०—4348/2014 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु आम सभा द्वारा चयनित 11 सदस्यों की समिति गठित करने हेतु प्रस्ताव श्री कुमार अवधेन्द्र नारायण दास के आवेदन दिनांक 30.01.15 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्तावित नाम का चरित्र—सत्यापन हेतु पर्षदीय पत्रांक—1587, दिनांक 21.08.15 द्वारा एवं स्मार पत्रांक— 2310, दिनांक 30.01.18 द्वारा सिलाव थाना को भेजा गया।

इस बीच पुनः आम सभा की बैठक दिनांक 11.12.2017 को आयोजित कर नये सिरे से जिलाधिकारी को अध्यक्ष तथा शेष नामों पर प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त सूची को सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष, सिलाव को भेजा गया।

सिलाव थाना के सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 20.05.18 को प्राप्त हुआ जिसके आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 के तहत निम्नलिखित 11 सदस्यों की न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा—32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०—43 (द) के तहत “अध्यक्ष” को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, पंचायत—भूई, ग्राम—विच्छाकोल, पो0—करजारा, था0— सिलाव, प्रखंड—राजगीर, जिला—नालंदा” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

- अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, पंचायत—भूई, ग्राम—विच्छाकोल, पो0—करजारा, था0—सिलाव, प्रखंड—राजगीर, जिला—नालंदा” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, पंचायत—भूई, ग्राम—विच्छाकोल, पो0—करजारा, था0—सिलाव, प्रखंड—राजगीर, जिला—नालंदा” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमिता/हस्तारिता भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

1	अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर, जिला-नालंदा	-	पदेन अध्यक्ष
2	कुमार अवधेन्द्र नारायण, पिता- स्व0 द्वारिका शरण, ग्राम- धरहरा, था0-बेल, नालंदा	-	उपाध्यक्ष
3	श्री राम भजन प्रसाद, पिता-स्व0 फकीरा महतो, ग्रा0-विच्छाकोल, था0-सिलाव, नालंदा	-	सचिव
4	श्री रामचन्द्र पंडित पिता-स्व0 बाबुचन्द पंडित, ग्रा0- बिच्छाकोल, था0-सिलाव, नालंदा	-	कोषाध्यक्ष
5	थानाध्यक्ष, बेन, नालंदा	-	पदेन सदस्य
6	श्री कौशल प्रसाद पिता-श्री सरयुग प्रसाद, ग्रा0-विच्छाकोल, था0-सिलाव, नालंदा	-	सदस्य
7	श्री शशिभूषण प्रसाद पिता-द्वारिका प्रसाद, ग्रा0- बिच्छाकोल, था0-सिलाव, नालंदा	-	सदस्य
8	श्री रामेश्वर राम पिता-मृदुल राम, ग्रा0-विच्छाकोल, था0-सिलाव, नालंदा	-	सदस्य
9	श्री चन्द्रेश्वर रविदास पिता-स्व0 प्रबिल मोची, ग्रा0-बिच्छाकोल, था0-सिलाव, नालंदा	-	सदस्य
10	श्री जागो मिस्त्री पिता-स्व0 दोदराज मिस्त्री, ग्रा0-बिच्छाकोल, था0-सिलाव, नालंदा	-	सदस्य
11	श्री हरिनारायण प्रसाद पिता-श्री दाहु महतो, ग्रा0-बिच्छाकोल, था0-सिलाव, नालंदा	-	सदस्य

श्री हरिनारायण प्रसाद इस ठाकुरबाड़ी के सेवायत के रूप में कार्य करते हैं तथा पूजारी के रूप में कृष्ण मोहन बाबा ठाकुरबाड़ी की दैनिक पूजा-पाठ, राग-भोग का कार्य करते हैं एवं अन्य पूजारी राजवली और सीताशरण के सहयोग से करेंगे।

न्यास समिति के सदस्यों को निर्देश दिया जाता है कि ग्राम- धरहरा अवस्थित ठाकुरबाड़ी की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु सक्षम पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दें तथा अन्य कार्रवाई करें।

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा।

नोट:- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के जिम्मेदार सदस्यों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 292-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>